कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 2855 /12–1 :देहरादून:दिनांक: 19 अप्रैल, 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, 25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः–जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव–न्वाली मोटर मार्ग हेतु 1.8435 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।
(ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21883/2016)

सन्दर्भः–भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून की पत्र संख्या–8बी0/यू0सी0पी0/06/84/2020/एफ0सी0/1672 दिनांक 28.10.2020.

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगतनीय है कि विषयांकित प्रकरण में भारत सराकर द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या हार्ड प्रति में इस कार्यालय के पत्र संख्या 785 दिनांक 20.09.2022 *(छायाप्रति संलग्न)* द्वारा पूर्व में भारत सरकार को प्रेषित की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ऑनलाईन पोर्टल पर दिनांक 02–04–2025 को अपलोड किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान में इस कार्यालय द्वारा आपको ऑनलाईन प्रेषित किया जा रहा है।

अतः सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या पुनः संलग्न कर इस आशय से प्रेषित कि जा रही है कि प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संर्वधन) अधिनियम, 2023 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

कार्यालय–अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-mail:nodalofficerddn@gmail.com Phone/ Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 785 / FP/UK/ROAD/21883/2016 :देहरादूनः दिनांकः 20 सितम्बर, 2022

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय,

25 सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव–न्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8वी/यू0सी0पी0/06/84/2020 /एफ0सी0/1672 दिनांक 28–10–2020।

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का संज्ञान लेने का कष्ट करें, जिससे भारत सरकार द्वारा विषयांकित प्रकरण में कतिपय शर्तो के तहत सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की अनुपालन आख्या वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09.2022 **(प्रति संलग्न)** के द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गई है जो कि निम्नानुसार संलग्न कर प्रेषित की जा रही हैः–

क्र. सं	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09.2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09.2022 अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
3	<u>प्रतिपूरक वनीकरणः–</u> **(क)** वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.687 है0 गैरवानिकी भूमि ग्राम रूनड़ा सिविल खाता न0 10 खसरा नं0 2906, 2907, 2914 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचें। **(ख)** गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण	(क) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09.2022 अवगत कराया गया है कि वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.687 है0 गैरवानिकी भूमि ग्राम रूनड़ा सिविल खाता न0 10 खसरा नं0 2906, 2907, 2914 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जाएगा। (ख) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त,

	हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवष्यक है। (ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 9.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने सम्बन्धी म्यूटेशन आदेश संलग्न है तथा उक्त चयनित भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। (ग) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि उक्त बिन्दु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	<u>शुद्ध वर्तमान मूल्य–</u> (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006 – एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिषानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8435 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राषि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न) (ख) वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त बिन्दु से सम्बन्धित शपथ पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त बिन्दु से सम्बन्धित शर्त मान्य है।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएगें।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा धनराशि जमा की जा चुकी है। (छाया प्रति संलग्न)
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिषानिर्देषो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि

	करेगी और यह सुनिष्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति संलग्न है।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861 / 12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है। **(छाया प्रति संलग्न)**
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861 / 12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो–बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
10	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861 / 12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861 / 12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्तुत उक्त बिन्दु से सम्बन्धित शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861 / 12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्ताव विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861 / 12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861 / 12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा

		वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। (प्रमाण संलग्न)
15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिषानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01. 2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09.

	पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	2022 अवगत कराया गया है कि मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
22	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09. 2022 अवगत कराया गया है कि अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

अतः अनुरोध है कि विषयांकित प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति निर्गत किये जाने पर विचार करने का कष्ट करें।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय,

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

संख्या– 785 / **FP/UK/ROAD/21883/2016** दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा की पत्र संख्या–861/12–1 (2) दिनांक 09.09.2022 के कम में।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ ।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट।

20/9/22

(एस0एस0 रसाईली)
अपर प्रमुख वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी,वन संरक्षण,

129

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक – 861 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 09/09/2022.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– जनपद– पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव–न्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में प्रस्ताव सं0. FP/UK/ROAD/21883 /2016.

संदर्भ:– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर केन्द्रीय क्षेत्र) देहरादून की पत्र सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 84 / 2020 / एफ0सी0 / 1972 दिनांक 28.10.2020।

महोदय,

विषयगत मोटर मार्ग के सम्बन्ध में भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या जो प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़ के पत्रांक 672 / 12–1 दिनांक 18.08.2022 से प्राप्त हुई है कि तीन हॉर्ड कॉपियां बन्द लिफॉफे में प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– प्रतिउत्तर की हॉर्ड कॉपी तीन प्रतियों में।

भवदीय

मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

सं० अ० / प्रभारी पिथौरागढ़
आ० का० के०
अ०प्र०व०सं०/नो०
13-9-22

कार्यालय
अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पंजी0 सं0 1558
पत्रावली 213
दिनांक 13-9-22

06 SEP 2022

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax&☎ 05964-225234

पत्रांकः– 672/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18, अगस्त, 2022।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोडा।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव–न्वाली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (FP/UK/ROAD/21883/2016)

संदर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्रांक 8वी/यू0सी0पी0/06/84/2020 /एफ0सी0/1672 दिनांक 28–10–2020 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1263/13सी दिनांक 02.08.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नवत हैः–

क्र. सं.	शर्ते	अनुपालन आख्या
1	वनभूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जायेगी।	प्रस्ताव विभाग द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थति नहीं बदली जायेगी।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपें जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वनभूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौपे जाने के बाद ही वनभूमि सौपी जायेगी।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः– (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.687 है0 गैरवानिकी भूमि ग्राम रूनड़ा सिविल खाता न0 10 खसरा नं0 2906, 2907, 2914 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहां तक व्यवहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचें।	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 3.687 है0 गैरवानिकी भूमि ग्राम रूनड़ा सिविल खाता न0 10 खसरा नं0 2906, 2907, 2914 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाते हुये मिश्रित वृक्षारोपण किया जाएगा।
	(ख) गैरवानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये है को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जाना आवष्यक है।	(ख) प्रतिपूरक वनीकरण हेतु चयनित भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित करने सम्बन्धी म्यूटेशन आदेश संलग्न है तथा उक्त चयनित भूमि को संरक्षित वन घोषित किये जाने सम्बन्धी प्रमाण पत्र संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	(ग) प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	शुद्ध वर्तमान मूल्य– (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नम्बर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08. 2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा	प्रस्ताव विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि जमा कर दी गई है। (छाया प्रति संलग्न)

	पत्रांक 5-1/1998-एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006 - एफ0सी0 दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिषानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.8435 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विषेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राषि, यदि कोई हो, जो अन्तिम रूप देने के बाद देय के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रस्तावक विभाग द्वारा शपथ पत्र संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ो की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 50 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा शर्त मान्य है।
6	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानान्तरित/जमा किए जाएगें।	प्रस्ताव विभाग द्वारा धनराषि जमा की जा चुकी है। (छाया प्रति संलग्न)
7	गाईडलाईन्स में दिए गए दिषानिर्देषो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिष्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	गाईडलाईन्स में दिए गए दिशानिर्देशो के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षो के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति संलग्न है।
8	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेख /प्रमाण पत्र संलग्न कर दिये गये है। (छाया प्रति संलग्न)
9	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदण्डो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो बीच पौधो की संख्या बढ़ायेगा।	आई0आर0सी0 मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों एवं उसके बीचो-बीच पौधो की संख्या बढ़ाई जायेगी।
10	संरक्षित क्षेत्रों वन क्षेत्रो में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जायेगे।	सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेगें।
11	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानो के अनुसार यदि लागू हो तो उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	शर्त मान्य है।
12	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	प्रस्ताव विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।
13	वनभूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	प्रस्तावक विभाग द्वारा वनभूमि में श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।
14	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा। (प्रमाण संलग्न)
15	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी क्रे निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया	प्रस्तावक विभाग द्वारा संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित

	जायेगा।	वनभूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।
16	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
17	वनभूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वनभूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।
18	केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी।	प्रस्तावक विभाग द्वारा केन्द्र सरकार की पुर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वनभूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियां विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नही की जायेगी। वनभूमि किसी एजेन्सी को प्रत्यावर्तित नहीं की जायेगी।
19	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लघंन वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लघंन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु वन मंत्रालय के दिषानिर्देष फाईल संख्या 11–42/2017–एफ0सी0 दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही की जायेगी।	वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन नहीं किया गया है।
20	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण से विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी।	निर्धारित शर्तो का पालन किया जायेगा।
21	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वनविभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थित एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाऐगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षो की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	मक डिस्पोजल का प्राविधान किया गया है।
22	यदि कोई अन्य संबंधित अधिनियम /अनुच्छेद /नियम /न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेदारी होगी।	संबंधित अधिनियम का पालन प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
23	अनुपालन रिपोर्ट ई –पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल पर अपलोड की गई है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– / दिनांकित।
प्रतिलिपिः– अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़, वन प्रभाग पिथौरागढ़।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & ☎ 05964- 225234

पत्रांकः– /12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 18/08 ~~जुलाई,~~ 2022।

सेवा में,

वन क्षेत्राधिकारी,
डीडीहाट।

विषयः– जनपद पिथौरागढ़ के छड़नदेव नवाली मोटर मार्ग से रुनड़ा तक मोटर मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों के छपान/पातन के सम्बन्ध में।

संदर्भ :– भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश सं0 08बी/UCP/06/84/2020/FC/1672 दि0 28.10.2020 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 202/13सी दिनांक 03.02.2022 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1085/13सी0 दिनांक 14.07.2022।

उक्त भारत सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने उपरान्त प्रस्तावक विभाग स्तर से अपने सन्दर्भित पत्र द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के अनुपालन में आख्या इस कार्यायल को प्रेषित की जा चुकी है। अतः आप समरेखण में पड़ने वाले वृंक्षों का सम्बन्धित विभाग व वन निगम के प्रतिनिधि के साथ छपान कर छपान सूची इस कार्यालय में आरक्षित, पंचायती, सिविल व नाप (काश्तकारवाईज) बनाकर प्रेषित करें। आवश्यक व न्यून वृक्षों का छपान किया जाये। साथ ही यह भी अवगत कराना है कि किसी भी दशा में समरेखन के इतर वृक्षों का छपान न किया जाये।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

संख्याः– 670 / 12-1 दिनांकित।

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अस्कोट को इस आशय से प्रेषित कि समरेखण में पड़ने वाले वृक्षों की स्थलीय जानकारी के साथ–साथ चयनित समरेखन के समस्त अभिलेखों यथा मैप, भूमि का खसरा खतौनी आदि संबंधित वन क्षेत्राधिकारी को उपलब्ध कराते हुये आवश्यक सहयोग देने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

o/c

NEFT RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6121883775
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/84/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address.	cd pwd askotePithoragarh
Amount(in Rs)	2531803.900/-00

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Thirty-One Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896121883775 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 22-06-2021

Agency Name.	CONSTRUCTION DIVISION PWD ASKOTE
Application No.	6121883775
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/84/2020/FC
Location.	UTTARANCHAL
Address:	cd pwd askote Pithoragarh
Amount(in Rs)	2531803.900/-00

Amount in Words :Twenty-Five Lakh Thirty-One Thousand Eight Hundred and Three Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896121883775 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

CA

Executive Eng Construction Di P. W. D. Askote

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

22 MAR 2022

भारतीय स्टेट बैंक, अस्कोट 22 MAR 2022

Executive Engineer Construction Division P. W. D. Askote

863

SBINR52022032293966

पत्रांक 3922
फाईल नं0 13 सी0
दिनांक 14-12-20

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax & फो 05964-225234

पत्रांकः— 2055 /12-1 दिनांक, पिथौरागढ़, 07 दिसम्बर, 2020।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0,
अस्कोट, पिथौरागढ़।

विषयः— जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव—नवाली मोटर मार्ग से रुनड़ा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.8435 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लो0नि0वि0 को प्रत्यावर्तन हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त होने के फलस्वरुप डिमान्ड नोट प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्रांक 08 बी/यू0सी0पी0/06/64/2020/एफ.सी./1672 दिनांक 28.10.2020 व प्रस्तावक विभाग का पत्रांक 1832/13सी0 दिनांक 07.11.2020।

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है कि आप भारत सरकार के आदेशानुसार सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों का अनुपालन कर अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें एवं उक्त सन्दर्भित पत्र के बिन्दु सं0 04 के कम में उक्त परियोजना में जमा की जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है:—

क्र0 सं0	मद	इकाई	दर	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	1.8435 हे0	6,99,000/— (ईको क्लास—VI) घनत्व 0.2	12,88,605.50/—
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	3.687 हे0	3,37,184.00	12,43,197.408/—
			योग	25,31,802.908/—

कृपया उक्त डिमान्ड नोट ऑन लाइन अपलोड कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमान्ड नोट का सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

श्री कोहली ए0ई0

11/12/20

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

प्रपत्र–43

परियोजना का नामः– जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण–पत्र,

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की माँग के अनुसार किया जायेगा।

ह0/–
प्रयोक्ता एजेन्सी

सहायक अभियन्ता
निर्माण ... लो0नि0वि
अस्कोट (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
अस्कोट (पिथौरागढ़)

प्रपत्र–23

परियोजना का नाम :– जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम पंचायत का नाम – गाजरी, रूनड़ा

तहसील–कनालीछीना, जिला–पिथौरागढ़

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव–नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) परियोजना के निर्माण हेतु (शून्य हे0 आरक्षित वन भूमि 1.8435 हे0 सिविल सोयम भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1.8435 हे0 वन भूमि का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत गाजरी, रूनडा द्वारा दिनांक 30-5-2016 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम गाजरी, रूनडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– 28/7/016

ग्राम सचिव

ह0/–

ग्राम प्रधान

20/5/2016

प्रधान

ग्राम पंचायत गाजरी

वि0 ख0 कनालीछीना पिथौरागढ़

प्रपत्र—23.2

परियोजना का नाम :— जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव—नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,धारचूला
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण—पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति,धारचूला

अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव—नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) (0.00 हे0 आरक्षित वन भूमि, 1.8435 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल 1.8435 हे0 वन भूमि) का निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील कनालीछीना) की दिनांक 24/—/15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:—

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री सतोष कुमार, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1— श्री संतोष कुमार उपजिलाधिकारी .... डीडीहाट .... अध्यक्ष
2— श्री —[illegible]— उप प्रभागीय वनाधिकारी .... डीडीहाट .... सदस्य
3— श्री [illegible] कुमार सहायक समाज कल्याण अधिकारी .... डीडीहाट सदस्य/सचिव
4— श्री राजू राम बी0डी0सी0 क्षेत्र .... पीपलकोट .... सदस्य

S.D.O.

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि छड़नदेव—नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) परियोजना हेतु 1.8435 हे0 वनभूमि निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0 अस्कोट प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है। संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी अनिल कुमार द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 [illegible] अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्माण खण्ड लो0नि0वि0 अस्कोट परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ में छड़नदेव—नवाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.00 कि0मी0 + 1 सेतु) परियोजना के निर्माण हेतु 1.8435 हे0 वन भूमि निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट, प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी
उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कनालीछीना
जनपद— पिथौरागढ

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, पिथौरागढ .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील— कनालीछीना
जनपद— पिथौरागढ

परियोजना का नामः– जनपद पिथोरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव न्वाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना हेतु चयनित सी0ए0 क्षेत्र ग्राम – रूनड़ा पट्टी –पीपली तहसील–कनालीछीना जिला– पिथौरागढ़ में पूर्व में किसी अन्य परियोजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

वन क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट

E:\Amin\Certificate sanrakshit van.doc

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथोरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट में छड़नदेव न्वाली मोटर मार्ग से रूनड़ा तक मोटर मार्ग का निर्माण हेतु 1.8435 हे0 वन वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 अस्कोट को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रूनड़ा पट्टी –पीपली तहसील–कनालीछीना पिथौरागढ़ के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता सं0–10 श्रेणी–9(3)ड़ बंजर काबिल आबाद के खेत सं0 2906 रकवा 0.621 हे0, खेत संख्या 2907 मध्ये रकवा 1.590 है0 खेत संख्या 2914 मध्ये रकवा 1.476 है0 कुल 3.687 है0 सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 2131/सात–26/2020–21 दिनांक 24.07.2021 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रतिहस्ताक्षरित

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

प्रभागीय वनाधिकारी,
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

क्षेत्र अधिकारी
डीडीहाट वन क्षेत्र

E:\Amin\Certificate sanrakshit van.doc

आदेश

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/84/2020/एफ.सी./1672 दिनांक 28.10.2020 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 1.8435 है0 वन भूमि के बदले 3.687 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव-नवाली मोटर मार्ग से रूनडा तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 1.8435 है0 वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम रूनडा पट्टी पीपली तहसील कनालीछीना के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-10 श्रेणी-9(3)ड बंजर काबिल आबाद के खेत नम्बर 2906 रकबा 0.621 है0, 2907 मध्ये रकबा 1.590 है0, 2914 मध्ये रकबा 1.476 है0 कुल 03 खेतों की 3.687 है0 सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, कनालीछीना स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक जुलाई 23, 2021

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़। दिनांक जुलाई 24, 2021

संख्या-2131/रात-26/2020-21

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।
2. प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।
3. उप जिलाधिकारी डीडीहाट।
4. तहसीलदार कनालीछीना को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0 पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप)
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

			२६६५	२५	"		[illegible]
			२६९६	२९॥।	"		0.595
			२६०२	१०४	"		2.085
			२६०४	६४	"		1.483
			२६०५	६६	"		1.544
			२६०६	१८।	"		0.365
			२६३५	४॥।	"		0.095
			२६३६	२६।=	"		0.529
			२६३७	३३।	"		0.665
			२६३८	१६॥।	"		0.355
			२६३९	४१॥।	"		0.836
			२६४०	११।	"		0.225
			२६८१	५॥=	"		0.118
			२६६६	४०॥≡	"		0.820
		योग	४१	१८८६॥=			
	श्रेणी ५(३) घ छप्पर छाने की घास व बांस की कोठियां					कोई नहीं	
	श्रेणी ६(३) ङ० बंजर का० आबाद						
५०	बंजर का० आ०		१	६३-	मसुराड	कार्यालय जिलाधिकारी महोदय पिथौरागढ़ के आदेश संख्या	1.264
			३	६॥।	रो०	2131/ सात-26/ 2020-21 दिनांक जुलाई 24, 2021	0.135
			५	८=	"	के अनुसार खेत नं० 2906 रकबा 0.621 हे०, खेत नं०	0.163
			२४	२॥≡	"	2907 मध्ये रकबा 1.590 हे०, खेत नं० 2914 मध्ये	0.059
			३०	११॥=	"	रकबा 1.476 हे० कुल 03 खेत को 3.687 हे० भूमि	0.238
			३६	६॥≡	"	वन विभाग के नाम दर्ज किया।	0.153
			१५०	१५८-	"		3.169
			१५२	३५।	"		0.705

राजस्व उप निरीक्षक
पीपली